HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL

No.:- 9/11-2022 SPIO/HSHEC Date: 03.01.2022

Workshop on Minimizing Misuse of RTI organized by Haryana State Higher Education Council. Public Information Officers (PIOs) and Appellate Authorities of State Funded Universities participated in the workshop.

Panchkula, 03 January.

Haryana State Higher Education Council (HSHEC) organized a one-day workshop on Minimizing Misuse of RTI on 3rd January, 2023 in Panchkula. Prof. Brij Kishore Kuthiala, Chairperson, HSHEC; Dr. Kailash Chander Sharma, Vice-Chairperson, HSHEC; expert speaker Shri Ajay Jagga, Senior Advocate, Punjab and Haryana High Court and renowned administrator Smt. Urvashi Gulati, former Chief Secretary and former State Information Commissioner, Haryana addressed the participating first appellate authorities and PIOs of the 15 State-funded Universities. In the opening remarks, Dr. Kailash Chander Sharma, Vice-Chairperson, HSHEC underlined the benefits of Right to Information (RTI) Act stating that it empowers citizens to get the answers to their questions and build better-informed citizens. He also stated that the channel of RTI should not be used with the intent of blackmailing and misusing and emphasized that the process and procedure of RTI Act should be thoroughly understood by PIOs and first appellate authorities.

Shri Ajay Jagga, Senior Advocate, Punjab and Haryana High Court explained the RTI Act in detail to the participants stating its meaning, objectives, important provisions and certain significant Supreme Court judgments. He also pointed that only genuine RTI applications should be processed further. He also suggested that standard operating procedures (SOPs) for certain common issues may be formed by the State Government. He also addressed the questions from various participants.

Prof. Brij Kishore Kuthiala, Chairperson, HSHEC suggested that a committee in the Council can be formed which will consist of PIOs, first appellate authorities, advocates, RTI experts etc. to take up the RTI-related problems of State Universities and provide guidance.

Smt. Urvashi Gulati, former Chief Secretary and former State Information Commissioner, Haryana in the concluding remarks highlighted the significance of the RTI Act stating that RTI information can be regarded as a public good, for it is relevant to the interests of citizens and is a crucial pillar for the functioning of a transparent and vibrant democracy. One should not underestimate the value of this right. She stated that basic rules and regulations of a University should not be concealed and it should be in public domain. More open an organization becomes, the number of RTI applications will decrease and the organization will feel less harassed. She stated that PIOs, first appellate authorities should have clarity about RTI, be impartial and should keep public interest in mind while dealing and examining a RTI application. Provisions in the RTI Act itself guide as to how to stop the misuse of the Act. She suggested that PIOs, first appellate authorities should not give advice and suggestions. He/she should supply the information which is available, information is based on record and record is ‘as it exists’ and ‘as it is available’.

The workshop ended with a vote of thanks by Prof. D.P Warne followed by National Anthem.

Regards

K.K Agnihotri
Advisor, HSHEC

Takniki Shiksha Sadan, Bays No. 7-12, Sector – 4, Panchkula – 134112
Contact No-0172-2570743, 2580435 (PBX) Email- chairpersonhshec@gmail.com

HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL

No.:- 9/11-2022 SPIO/HSHEC **Date: 03.01.2022**

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आरटीआई के दुरुपयोग को कम करने के लिए कार्यशाला का आयोजन

कार्यशाला में राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और अपीलेट अधिकारियों ने भाग लिया।

पंचकूला, 03 जनवरी।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एचएसईसी) ने 3 जनवरी, 2023 को पंचकूला में आरटीआई के दुरुपयोग को कम करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो बृज किशोर कुठियाला , अध्यक्ष, एचएसएचईसी; डॉ. कैलाश चंदर शर्मा , उपाध्यक्ष, एचएसएचईसी; विशेषज्ञ वक्ता श्री अजय जग्गा , वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और प्रसिद्ध प्रशासक श्रीमती उर्वशी गुलाटी, पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त , हरियाणा ने भाग लेने 15 राज्य द्वारा पो षित विश्वविद्यालयों के पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को संबोधित किया। प्रारंभिक टिप्पणी में , डॉ. कैलाश चंदर शर्मा , उपाध्यक्ष, एचएसएचईसी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के लाभों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नागरिकों को उनके सवालों के जवाब पा ने और बेहतर जानकार नागरिकों का निर्माण करने का अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई के चैनल का उपयोग ब्लैकमेलिंग और दुरुपयोग के इरादे से नहीं किया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि आरटीआई अधिनियम की प्रक्रिया पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को अच्छी तरह से समझा लेना चाहिए।

श्री अजय जग्गा , वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, २००५ का अर्थ, उद्देश्य, महत्वपूर्ण प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए आरटीआई अधि नियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि केवल यथार्थ आरटीआई आवेदनों पर ही आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कुछ सामान्य मुद्दों के लिए राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जा सकती है। उन्होंने विभिन्न प्रतिभागियों के सवालों का जवाब भी दिया।

प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने सुझाव रखा के परिषद् में एक समिति गठित की जा सकती है जिसमे पीआईओ ,प्रथम अपीलेट अधिकारियों, सूचना अधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता शामिल होंगे। यह समिति सूचना अधिकार से संबंधित समस्याओं पर राज्य के विश्वविद्यालयों को सलाह देगी।

श्रीमती उर्वशी गुलाटी, पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा ने समापन उद्‌बोधन में सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह लोकहित और पारदर्शी व जीवंत लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्‌यालयों के बुनियादी नियम सार्वजनिक होने चाहिएं। संस्थाएं जितनी पारदर्शी होंगी उनमे उतने ही कम सूचना के अधिकार से संबंधित मामले आयेंगे और संस्थाओं का इस माध्यम से उत्पीड़न भी कम होगा। उन्होंने कहा कि पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता व जानकारी रखनी चाहिए और मामलों को संभालते समय लोकहित को दृष्टि में रखना चाहिए। अधिनियम में इसके गलत इस्तेमाल से बचने के प्रावधान हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया की पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को सुझाव व सलाह देने से बचना चाहिए। उनको केवल वही सूचना देनी चाहिए जो की उपलब्ध है और जिस माध्यम में उपलब्ध है। सूचना केवल अभिलेखों पर आधारित होनी चाहिए।

कार्यशाला का समापन प्रो. डी पी वारने, वरिष्ठ शैक्षणिक अन्वेषक एवं नियोजक द्‌वारा सबके धन्यवाद और राष्ट्रीय गान से हुआ।

भवदीय

श्री के.के. अग्निहोत्री
परामर्शदाता
हरियाणा राज्यउच्च् शिक्षा परिषद्‌
मो. 9815555548